

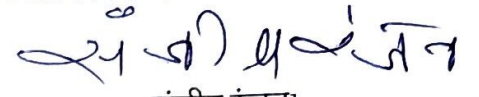
सं. 22/2/2014-एसओ
भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

हॉल नंबर 6421, जोन-04
जीपीओए-03, नेताजी नगर, नई दिल्ली
दिनांक 9 सितंबर, 2026

आदेश

राष्ट्रपति, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 की अधिनियम सं. 11) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 6 के तहत नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यथा निर्धारित रूप और रीति से जांच करने और शास्ति लगाने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने के अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 24क के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेगा।



(संजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव/माननीय कोयला राज्य मंत्री के निजी सचिव
2. सुश्री रूपिंदर बरार, अपर सचिव और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
3. सीएमडी, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता/सीएमडी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड; नेयवेली/सीएमडी, एससीसीएल, कोठागुडेम/डब्ल्यूसीएल/एसईसीएल/एनसीएल/ईसीएल/बीसीसीएल/एमसीएल और सीएमपीडीआईएल के सीएमडी और सीसीओ कोलकाता
4. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
5. सचिव (कोयला)/अपर सचिव(आरबी)/अपर सचिव(एसकेजे)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव (एसकेके)/संयुक्त सचिव (एमकेजी)/संयुक्त सचिव (जीएस)/सलाहकार (परियोजना)/आर्थिक सलाहकार/उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय के पीपीएस
6. कोयला मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग
7. ई-नोटिस बोर्ड